



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या के अभियोग में अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व ₹ 6,500/-₹0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना-सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 87/2022 धारा- 323,304,504,506 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0न्यायालय डैकैटी कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ भाऊ पुत्र नत्थू वर्मा नि0 इमिलिया थोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कारावास व ₹ 6,500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक- एडीजीसी  
राजेश कुमार तिवारी



विवेचक-  
उ0नि0 रामबाबू  
यादव



पैरोकार- थाना-सुमेरपुर  
हे0का0 ज्ञानेन्द्र